

पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

रा०उ०पथ -77,पटना रोड, ग्राम+पोस्ट-दरियापुर कफेन,भाया -तुर्की , जिला-मुजफ्फरपुर,बिहार- -844127

66

संदर्भ :पू० क्षे०-१/मुज०/पीएमटीएल/सी-मो/ वन/ 3317

दिनांक :06.11.2020

सेवा में ,

श्री राकेश कुमार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार ,पटना

11.11.2020

विषय- 400के०वी० डबल सर्किट सीतामढ़ी - मोतिहारी पारेषण पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम ,1980 के तहत 0.1852 हे० वन भूमि का मुख्य प्रबंधक , पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड,सीतामढ़ी के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैधांतिक स्वीकृति के शर्तों के अनुपालन के संबंध में ।

सन्दर्भ :जापांक -व.सं./124/2018-592 दिनांक:07.07.2020

जापांक -व.सं./124/2018-843 दिनांक:21.09.2020

महोदय ,

पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 400के०वी० डबल सर्किट सीतामढ़ी मोतिहारी पारेषण पथ के निर्माण कार्य किया जा रहा है । इस कार्य में आपके वन प्रमंडल अंतर्गत कुल 0.1852 हे० वन भूमि अपयोजित होगी । इसके Stage-1की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जापांक -व.सं./124/2018-592 दिनांक:07.07.2020 के माध्यम से सशर्त जारी की गई थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु जापांक की प्रति संलग्न है ।

उक्त जापांक में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन उपमहाप्रबंधक ,सीतामढ़ी के पत्रांक 3050 दिनांक:23.08.2020 के माध्यम से आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था । सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्रांक तथा अनुपालन प्रतिवेदन की संलग्न है।

जापांक व.सं./124/2018-592 दिनांक:07.07.2020 में अधिरोपित शर्त क्र० -VIII के अनुपालन में उपमहाप्रबंधक ,सीतामढ़ी द्वारा वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

वर्तमान में आपके के पत्र संख्या -व.सं. /124/2018-843 , पटना-14, दिनांक -21.09.2020 के माध्यम से ~~उक्त~~ पत्र संख्या -व.सं. /124/2018-592 , पटना-14, दिनांक -07.07.2020 में अधिरोपित शर्त संख्या (viii) के संबंध में, बौनी प्रजाति के पौधों के रोपण मद की कुल राशि रु० 26,47,973/- मात्र को मंत्रालय के वेब -साईट parivesh.nic.in से e challan generate कर बिहार CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर करने हेतु तथा जापांक व.सं. /124/2018-592 , पटना-14, दिनांक -07.07.2020 में अधिरोपित शर्तों का कंडिकावार संशोधित

वन
06/11/20

पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

रा०उ०पथ -77,पटना रोड, ग्राम+पोस्ट-दरियापुर कफेन,भाया -तुर्की , जिला-मुजफ्फरपुर,बिहार- 844127

अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड को लिखा गया है ।


अतः online Mode द्वारा कुल रू० 26,43,973/- मात्र को मंत्रालय के वेब -साइट parivesh.nic.in से e-challan (NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA Date 04.11.2020) Generate कर बिहार कैम्पा के Account 150626436604856, IFSCCode CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch,Block-11,CGO Complex,Phase-I,Lodhi Road,New Delhi-110003 में UTR No SBIN420311384313 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है ।

उक्त भुगतान करने उपरान्त संशोधित कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न है ।

अतः अनुरोध है की उक्त विषयान्तर्गत कार्य की अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार


06/11/20
प्रणव कुमार

महाप्रबंधक,पीएमटीएल
मुजफ्फरपुर

संशोधित अनुपालन पत्रक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार ,पटना के पत्र संख्या -व.सं. /124/2018-592 , पटना-14, दिनांक -07.07.2020 के माध्यम से 400 के० वी० डबल सर्किट सीतामढ़ी मोतिहारी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन(संरक्षण)अधिनियम 1980 के तहत 0.1852हे० वन भूमि का मुख्य प्रबंधक ,पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड , सीतामढ़ी के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर विभिन्न शर्तों के साथ सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार ,पटना के पत्र संख्या -व.सं. /124/2018-843 , पटना-14, दिनांक -21.09.2020 के माध्यम से कंडिकावार संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु कहा गया है ।

मे० पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा उक्त शर्तों के संशोधित अनुपालन निम्न रूप में संसूचित की जाती है ।

क्र०	Stage-I स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता एजेंसी की अनुपालन प्रतिवेदन
i	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
ii	अपयोजन होने वाली 0.1852 हेक्टेयर वन भूमि का NPV की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513(ई०) ,दिनांक 27. 11 .2008 द्वारा निर्धारित दर 6.26 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर पर कुल रुपया 1,15,935/- मात्र की राशि जमा की जाएगी।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) - सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार ,पटना के पत्र संख्या -व.सं. /124/2018-592 , पटना-14, दिनांक -07.07.2020 के माध्यम से मांग प्राप्त हुई (संलग्नक-1) क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद की कुल राशि (रु०1,15,935+रु० 7,29,862) रु० 845797/- (रुपये आठ लाख पैतालीस हजार सात सौ संतानवे) मात्र को मंत्रालय के वेब - साईट parivesh.nic.in से e-challan (NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA Date 14.08.2020) Generate कर बिहार कैम्पा के Account 150626436604114, IFSCCode CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch,Block-11,CGO Complex,Phase-I,Lodhi Road,New Delhi-110003 में UTR No. SBIN320228281016 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है। (देखें)

पुनः
06/11/20

		संलग्नक-2)
iii	<p>यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है तथापि हरितावारण को बनाए रखने हेतु एक सौ वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जाएगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी रू० 7,29,862/- मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।</p>	<p>अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) - सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्र संख्या -व.सं. /124/2018-592, पटना-14, दिनांक -07.07.2020 के माध्यम से मांग प्राप्त हुई। (संलग्नक-1)</p> <p>क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद की कुल राशि (रू० 1,15,935+रू० 7,29,862) रू० 8,45,797/- (रूपये आठ लाख पैतालीस हजार सात सौ संतानवे) मात्र को मंत्रालय के वेब - साईट parivesh.nic.in से e-challan (NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA Date 14.08.2020) Generate कर बिहार कैम्पा के Account 150626436604114, IFSCCode CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block-11, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में UTR No. SBIN320228281016 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है। (देखें संलग्नक-2)</p>
iv	<p>क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद की कुल राशि (रू० 1,15,935+7,29,862) रू० 8,45,797/- (रूपये आठ लाख पैतालीस हजार सात सौ संतानवे) मात्र को मंत्रालय के वेबसाईट parivesh.nic.in से ई चालान generate कर बिहार कैम्पा के अकाउंट में ऑनलाइन Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराया जाएगा।</p>	<p>अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) - सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्र संख्या -व.सं. /124/2018-592, पटना-14, दिनांक -07.07.2020 के माध्यम से मांग प्राप्त हुई। (संलग्नक-1)</p> <p>क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद की कुल राशि (रू० 1,15,935+रू० 7,29,862) रू० 8,45,797/- (रूपये आठ लाख पैतालीस हजार सात सौ संतानवे) मात्र को मंत्रालय के वेब - साईट parivesh.nic.in से e-challan (NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA Date 14.08.2020) Generate कर बिहार कैम्पा के Account 150626436604114, IFSCCode CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block-11, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में UTR No. SBIN320228281016 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है। (देखें</p>

08/11/20

		संलग्नक-2)
v	उक्त जमा की गई राशि को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई पोर्टल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गई राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को ई चालान के मूल प्रति दी जाएगी।	ई पोर्टल पर जमा की गई राशि का प्रदर्शन वन विभाग के क्रियान्वयन हेतु। ई चालान के मूल प्रति संलग्नक-3 में संलग्न है।
vi	प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अंतर की राशि जमा की जाएगी।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड, इस आशय से सहमत है कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अंतर की राशि जमा की जाएगी। इस संबंध में वचनबद्धता पत्र संलग्नक-4 में संलग्न है।
vii	आवश्यकतानुसार वन एवं वनप्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड, इस आशय से सहमत है कि आवश्यकतानुसार वन एवं वनप्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा।
viii	एक हेक्टेयर वन भूमि पर बौनी प्रजाति (विशेषकर मेडिसिनल पौधा)पौधों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी,मोतिहारी द्वारा योजना तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा एवं इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यन्वयन हेतु राशि की मांग प्रयोक्ता एजेंसी से की जाएगी।	बौनी प्रजाति के पौधों के रोपण मद की कुल रू० 26,43,973/- मात्र को मंत्रालय के वेब -साईट parivesh.nic.in से e-challan (NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA Date 04.11.2020) Generate कर बिहार कैम्पा के Account 150626436604856, IFSCCode CORP0000371, Corporation Bank, Lodhi Complex Branch,Block-11,CGO Complex,Phase-I,Lodhi Road,New Delhi-110003 में UTR No. SBIN420311384313 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है। (देखें संलग्नक-5)
ix	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में एक भी वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि प्रस्तावित अपयोजन की वन भूमि पर एक भी वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा।

पुनः
06/11/20

X	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिए नहीं किया जाएगा ,और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेका जाएगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिए नहीं किया जाएगा ,और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेका जाएगा।
xi	वन क्षेत्र के अंदर निर्माण सामग्री की धुलाई के लिए अतिरिक्त अथवा नए पथ का निर्माण नहीं किया जाएगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि वन क्षेत्र के अंदर निर्माण सामग्री की धुलाई के लिए अतिरिक्त अथवा नए पथ का निर्माण नहीं किया जाएगा।
xii	वृक्षों एवं संवाहक के बीच न्यूनतम 5.50 मीटर की दूरी रखी जाएगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिए नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा छटाई की जाएगी।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि वृक्षों एवं संवाहक के बीच न्यूनतम 5.50 मीटर की दूरी रखी जाएगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिए नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा छटाई की जाएगी।
xiii	वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान नहीं बनाया जाएगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान नहीं बनाया जाएगा।
xiv	वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को इंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/अस्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर /कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को इंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/अस्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर /कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं।


जुन
06/11/20

xv	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
xvi	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/ नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी एवं अंतिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/ नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी एवं अंतिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।
xvii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाएंगे।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाएंगे।
xviii	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालांतर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिए यह बाध्यकारी होगा।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालांतर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिए यह बाध्यकारी होगा।
xix	उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीतामढ़ी) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तांतरण/अभ्यर्पण नहीं करेगी।	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आशय के सहमति की पुष्टि प्रदान करता है कि उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीतामढ़ी) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार

पुनः
06/11/20

	LEGAL TRANSMISSION	से आवंटन/हस्तांतरण/अभ्यर्पण नहीं करेगी।
--	--------------------	---

संलग्नक -उपरोक्तानुसार।


 प्रणव कुमार

महाप्रबंधक/पीएमटीएल, मुज०